रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 129] नई दिल्ली, बुधवार, मई 29, 1974/ज्येष्ठ 8, 1896
No. 129] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 1974/JYAISTHA 8, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

LOK SABHA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May 1974

No. 46/3/CI/74.—The following paragraph published in the Lok Sabha Bulletin—Part II, dated the 24th May, 1974, is hereby published for general information:—

'No. 1769

Amendments to Directions by the Speaker under the Rules of Procedure of Lok Sabha

In pursuance of rule 389 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition), the Speaker has made the following amendments to the Directions:—

DIRECTION 9A

1. The existing Direction 9A shall be renumbered as Direction 9B.

2. In the heading above Direction 9B, as so renumbered, for the brackets and letter '(d)', the brackets and letter '(e)' shall be substituted.

3. Before Direction 9B and the heading "(e) Statutory Resolutions", as so renumbered and relettered, the following shall be inserted, namely:—

"(d) Arrangement of private members' resolutions in the list of business

9A. *Arrangement of private member's resolutions in the list of business.*—If time allotted for discussion of a part-discussed resolution entered in the list of business for a day is increased by the House or the Speaker and as a result thereof the next resolution entered in the list of business on the basis of the first priority obtained at the ballot is not moved on that day, the said resolution shall be set down as the first item for the next day allotted during the same session for private members' resolutions after the part-discussed resolution, if any."

P. K. PATNAIK,
for Secretary-General.'

लोक [सभा]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 1974

सं० 46/3/सी 1/74.—लोक सभा समाचार—भाग II, दिनांक 24 मई, 1974 में प्रकाशित निम्नलिखित पैरा एतद्द्वारा सामान्य जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है :—

'संख्या 1769

लोक सभा के प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा निदेशों में संशोधन

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 389 के अनुसरण में अध्यक्ष ने निदेशों में निम्नलिखित संशोधन किये हैं :—

निदेश 9क

1. वर्तमान निदेश 9क को निदेश 9ख के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा ।

2. इस प्रकार पुनसंख्यांकित निदेश 9ख के ऊपर शीर्षक में कोष्ठकों और अक्षर '(घ)' के स्थान पर, कोष्ठक और अक्षर '(ङ)' प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

3. इस प्रकार पुनर्संख्यांकित और पुनःअक्षरांकित निदेश 9ख और शीर्षक "(ङ) सांविधिक संकल्प" से पूर्व यह अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(घ) कार्य सूची में गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की व्यवस्था ।

9क. कार्य सूची में गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की व्यवस्था—यदि किसी दिन की कार्यसूची में दर्ज ऐसे संकल्प पर, जिस पर आंशिक रूप से चर्चा हो चुकी है, चर्चा के लिए निर्धारित समय को सभा अथवा अध्यक्ष द्वारा बढ़ाया जाता है और उसके परिणामस्वरूप बैलट में प्राप्त प्रथम प्राथमिकता के आधार पर कार्य सूची में दर्ज अगला संकल्प उस दिन पेश नहीं किया जाता है तो उस संकल्प को, आंशिक रूप से चर्चा किए गये संकल्प, यदि कोई हो, के पश्चात् गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए उसी सत्र के दौरान नियत अगले दिन के कार्य की पहली मद के रूप में रखा जायेगा ।"

पी० के० पटनायक,
कृते महासचिव ।'

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1974